

**उत्कर्ष स्मॉल फाइनंस बैंक**  
आपकी उम्मीद का खाता  
(एक अनुपेक्षित वाणिज्यिक बैंक)

**उत्कर्ष स्मॉल फाइनंस बैंक लिमिटेड**  
सीआईएन: L65992UP2016PLC082804

पंजीकृत कार्यालय: उत्कर्ष टॉवर, एनएसए – 31 (एनएसए रोड), सेक्टरल लुकर, कान्हाजी सराय, हरदुआ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, पिन – 221015।  
दूरभाष: नंबर: + 91-542-6865555 | ईमेल: shareholder@utkarsh.bank  
वेबसाइट: www.utkarsh.bank

### 9वीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओवीएएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनंस बैंक लिमिटेड ("बैंक") के 9वें सदस्यों की 9वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") बुधवार, 22 अगस्त, 2025 को दोपहर 2.30 बजे, भारतीय मानक समय ("आईएसटी") वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओवीएएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी ताकि एजीएम की सूचना में निर्धारित आवश्यकता का संतुष्ट किया जा सके। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना प्रकाशित की, 31 जुलाई, 2025 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेजने का काम पूरा कर लिया है, जिनके ईमेल पते बैंक/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीडी")/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं। यह कार्य सामान्य परिचय संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 के साथ पठित कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी पिछले परिचय (सांख्यिक रूप से "एनएसटी परिचय") के रूप में संदर्भित) और परिचय संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडीपीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और निगमन बोर्ड द्वारा इस संबंध में जारी पिछले परिचय (सांख्यिक रूप से "सेबी परिचय") के रूप में संदर्भित) और भारतीय प्रतिभूति और निगमन बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आदेशकार्यालय) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन (सेबी लिस्टिंग विनियम)) में किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना 9वें बैंक की वेबसाइट [www.utkarsh.bank](http://www.utkarsh.bank) पर और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों यानी बीएसई लिमिटेड की [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर और बैंक द्वारा नियुक्त ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट यानी नेशनल सिस्टीमेटिज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में, सम-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित, और सम-समय पर संशोधित सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालय मानक – 2 के अनुसार, सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके एजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपने वोट डालने की सुविधा प्रदान की जा रही है, अर्थात् एनएसडीएल द्वारा प्रदान किए गए रिमोट ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से।

ई-वोटिंग की अंतिम तिथि	बुधवार, 13 अगस्त, 2025
रिमोट ई-वोटिंग प्रारंभ तिथि और समय	मंगलवार, 19 अगस्त, 2025 सुबह 9:00 बजे (भारतीय मानक समय)
रिमोट ई-वोटिंग समाप्ति तिथि और समय	बुधवार, 21 अगस्त, 2025 शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समय)

वे सदस्य जो वीसी/ओवीएएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होंगे और जिनको रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे वार्षिक आम बैठक के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने वार्षिक आम बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होकर भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

तदनुसार, बैंक के वे सदस्य जिनका नाम डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर/लामाशी मालिकों के रजिस्टर की सूची में बुधवार, 13 अगस्त, 2025 (कट-ऑफ तिथि) तक शामिल है, वे रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे। बैंक के सभी शेयर डीमैट रूप में हैं। दूरस्थ ई-वोटिंग और वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रियाएँ निर्देश, जिनमें यह भी शामिल है कि जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, वे अपना ईमेल पता पंजीकृत कर सकते हैं और/या वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में निर्दिष्ट अनुसार अपना वोट डाल सकते हैं। सदस्यों के मतदान अधिकार, सम-समय पर संशोधित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और 16 जनवरी, 2023 के आर्कबाई (बैंकिंग कंपनियों में शेयरों या मतदान अधिकारों का अधिग्रहण और पारण) निर्देश, 2023 के प्रावधानों के अधीन, कट-ऑफ तिथि को बैंक की वृत्तगत इक्विटी शेयर सूची में उनके शेयरों के अनुसार है होंगे।

कोई भी व्यक्ति, जो वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में भेजे जाने के साथ बैंक के शेयर प्राप्त करने हैं और बैंक का सदस्य बनना है और अंतिम तिथि तक शेयर सारण करता है, उससे अनुबंध है कि वह वार्षिक आम बैठक (एजीएम) से पहले रिमोट ई-वोटिंग और वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के लिए पुराने आइडी और पासवर्ड प्राप्त करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया हेतु वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना अवश्य देखें। लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य [evoting@nsdl.com](http://evoting@nsdl.com) पर अनुबंध मेजकर या 022 – 4886 7000 पर कॉल करके एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

उत्कर्ष स्मॉल फाइनंस बैंक लिमिटेड के लिए  
हस्ताक्षरकर्ता/—  
सूचना गणपति  
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक: 1 अगस्त, 2025  
स्थान: मुंबई

**प्रमुख संख्या आईएनसी-26**  
(कम्पनी अधिनियम) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में)

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक,  
उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय,  
नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के तहत

वायोसीड इंडिया लिमिटेड  
(सीआईएन: U01112DL1992PLC047825)  
हिसरा/पंजीकृत कार्यालय: द्वितीय तल, (परिचय विंग) वर्ल्डमार्क-1, एरोसिटी, दक्षिण पश्चिम, नई दिल्ली, भारत, 110037 में है, के मामले में

...आवेदक कंपनी/वार्षिककर्ता

एतद्वारा सामंजस्यपूर्ण सूचना दी जाती है कि यह आवेदक कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिनमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" में "हरियाणा स्ट्रीट" में स्थानांतरित करने के लिए 21 जुलाई, 2025 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में वार्षिक विशेष परिचय के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेडम ऑफ एंशियर/एनएसडीएल की सुविधा करने की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यह किस्ती व्यक्त कि यह प्रस्तावित होता है जो वह व्यक्ति या तो निदेशक/शिकायत प्रमुख/आयकर एनएसडीएल-21 पोर्टल ([www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in)) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए का प्रकार और उसके विवेक का कारण उल्लिखित हो, कि शपथ अपनी आयकर और वित्तीय बंधन को इन सूचनाओं के प्रकाशन की तारीख से तारीख (14) दिनांक में भारत क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूरभाष तल, बकिंग रोड/उत्तरी क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उसके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भेजी जाएगी।

द्वितीय तल, (परिचय विंग) वर्ल्डमार्क-1, एरोसिटी, दक्षिण पश्चिम, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110037

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से  
वायोसीड इंडिया लिमिटेड  
हस्ता/—  
दिनांक: 31.07.2025  
स्थान: नई दिल्ली

अमित अग्रवाल (निदेशक)  
सीआईएन: 09337856

**प्रपत्र सं. आईएनसी-26**  
(कम्पनी अधिनियम) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में)

केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और धारा (ए) के मामले में कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में

प्रोक्रिया टेक प्राइवेट लिमिटेड  
(सीआईएन: U62020DL2023PTC049431)

हिसरा/पंजीकृत कार्यालय: # 203 टुलु बंगला रोड, 2/3 ब्लॉक/नया बंगला रोड/एनएसडीएल-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए का प्रकार और उसके विवेक का कारण उल्लिखित हो, कि शपथ अपनी आयकर और वित्तीय बंधन को इन सूचनाओं के प्रकाशन की तारीख से तारीख (14) दिनांक में भारत क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूरभाष तल, बकिंग रोड/उत्तरी क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उसके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भेजी जाएगी।

द्वितीय तल, (परिचय विंग) वर्ल्डमार्क-1, एरोसिटी, दक्षिण पश्चिम, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110037

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से  
प्रोक्रिया टेक प्राइवेट लिमिटेड  
हस्ता/—  
दिनांक: 31.07.2025  
स्थान: नई दिल्ली

अमित अग्रवाल (निदेशक)  
सीआईएन: 10048848

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में, सम-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित, और सम-समय पर संशोधित सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालय मानक – 2 के अनुसार, सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके एजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपने वोट डालने की सुविधा प्रदान की जा रही है, अर्थात् एनएसडीएल द्वारा प्रदान किए गए रिमोट ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में, सम-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित, और सम-समय पर संशोधित सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालय मानक – 2 के अनुसार, सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके एजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपने वोट डालने की सुविधा प्रदान की जा रही है, अर्थात् एनएसडीएल द्वारा प्रदान किए गए रिमोट ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में, सम-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित, और सम-समय पर संशोधित सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालय मानक – 2 के अनुसार, सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके एजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपने वोट डालने की सुविधा प्रदान की जा रही है, अर्थात् एनएसडीएल द्वारा प्रदान किए गए रिमोट ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में, सम-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित, और सम-समय पर संशोधित सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालय मानक – 2 के अनुसार, सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके एजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपने वोट डालने की सुविधा प्रदान की जा रही है, अर्थात् एनएसडीएल द्वारा प्रदान किए गए रिमोट ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में, सम-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित, और सम-समय पर संशोधित सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालय मानक – 2 के अनुसार, सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके एजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपने वोट डालने की सुविधा प्रदान की जा रही है, अर्थात् एनएसडीएल द्वारा प्रदान किए गए रिमोट ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में, सम-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित, और सम-समय पर संशोधित सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालय मानक – 2 के अनुसार, सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके एजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपने वोट डालने की सुविधा प्रदान की जा रही है, अर्थात् एनएसडीएल द्वारा प्रदान किए गए रिमोट ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में, सम-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित, और सम-समय पर संशोधित सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालय मानक – 2 के अनुसार, सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके एजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपने वोट डालने की सुविधा प्रदान की जा रही है, अर्थात् एनएसडीएल द्वारा प्रदान किए गए रिमोट ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में, सम-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित, और सम-समय पर संशोधित सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालय मानक – 2 के अनुसार, सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके एजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपने वोट डालने की सुविधा प्रदान की जा रही है, अर्थात् एनएसडीएल द्वारा प्रदान किए गए रिमोट ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से।

## एनटीपीसी लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्या: L40101DL1975GOI007966  
पंजीकृत कार्यालय: एनटीपीसी भवन, कोर-7, स्कूप कॉम्प्लेक्स, 7, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 फोन: 011-24360959, फैक्स: 011-24360241  
ई-मेल: csnpnt@ntpc.co.in, वेबसाइट: www.ntpc.co.in

### 49वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) एवं अंतिम लामांश के भुगतान हेतु रिपोर्ट तिथि संबंधी सूचना

यह सूचित किया जाता है कि एनटीपीसी लिमिटेड की 49वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) बुधवार, दिनांक 29 अगस्त 2025 को प्राय: 10:30 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओवीएएम) के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 के लामांश प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार आयोजित की जाएगी, जिसे 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 के सामान्य परिचयों और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी 19 सितंबर 2024 के परिचय सहित अन्य संबंधित परिचयों के साथ पढ़ा जाएगा। उपरोक्त एमसीए परिचयों तथा सेबी द्वारा जारी 5 जून 2025 के परिचय के अनुसार, 49वीं वार्षिक आम सभा के नोटिस सहित वार्षिक प्रतिवेदन केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही उन शेयरधारकों को भेजा जाएगा, जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी/डिपॉजिटरी के रूप में पंजीकृत हैं।

नोटिस एवं वार्षिक प्रतिवेदन 2024-25 कंपनी की वेबसाइट [www.ntpc.co.in](http://www.ntpc.co.in) तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों, अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, पर क्रमशः [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की प्रणाली: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसार, 49वीं वार्षिक आम सभा में विचारार्थ प्रस्तावों के माध्यम आम सभा के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के माध्यम से विचार किया जाएगा। कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान करने हेतु नेशनल सिस्टीमेटिज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं ली हैं। जिन शेयरधारकों के पास मौखिक रूप में शेयर हैं या जिनको अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है और वार्षिक आम सभा (एजीएम) में भाग लेना चाहते हैं या रिमोट ई-वोटिंग या सभा के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालना चाहते हैं, वे वार्षिक आम सभा (एजीएम) की सूचना में दिए गए निर्देशों का पालन करके वार्षिक आम सभा (एजीएम) में भाग ले सकते हैं।

ई-मेल आईडी एवं वोट विवरण पंजीकृत/अपडेट करने की प्रक्रिया: जिन शेयरधारकों ने अपनी ई-मेल आईडी और बैंक खाते का विवरण पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे इसे निम्न प्रक्रिया द्वारा पंजीकृत करें:

मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए  
मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए  
मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए  
मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए  
मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए  
मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए  
मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए  
मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए  
मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए  
मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए  
मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए  
मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए  
मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए  
मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए  
मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए  
मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए  
मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए  
मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए  
मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए  
मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए  
मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए  
मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए  
मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए  
मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए  
मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए  
मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए  
मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए  
मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए  
मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए  
मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए  
मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए  
मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए  
मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए  
मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए  
मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए  
मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए  
मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए  
मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए  
मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए  
मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए  
मौखिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए

## एयू स्मॉल फाइनंस बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कॉर्पोरेट बैंक)

रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

### परिशिष्ट IV (द्वितीय भाग 8) का प्रावधान

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाइनंस बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कॉर्पोरेट बैंक) का प्राथमिक अधिकारी होते हुए "वित्तीय आसियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम, 13 (1) (2) का संपरिचित नियम (3) के तहत प्रवृत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में उद्योगों को भाग सूचना पत्र निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्धारित कर तालिका में राशि 60 दिवस के भीतर चुकाने के लिये कहा गया है।

ऋणी/साह-ऋणी/बंधकर्ता/उपमानतदार का नाम/ऋण खाता सं.	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	कबो की तारीख
ऋण खाता सं.: L9001060830106369 व L9001060126110271 सनी कुमार (ऋणी), शीपती आदेश देवी (साह-ऋणी), धर्मद (साह-ऋणी), जगपाल भाटी (साह-ऋणी)	17 अप्रैल 2025 ₹ 941481/- रु. नी लाल इकानालिम हजार चार सौ इक्यासी मात्र व 18 अप्रैल 2025 ₹ 2322525/- रु. तेजेंद्र लाल बार्सई हजार सौ पच्चीस मात्र 15 अप्रैल 2025	सम्पत्ति के सभी अधिन अंग रिहायशी/गेरिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्स्ड सम्पत्ति स्थित मकान नं. 174, खसर नं. 152 भी में से, स्थित पुरानी आवादी ग्राम सेवली, परगना व महमली – दादरी, जिला- गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 427 वर्ग बघ, पूर्व : जोगिंदर का प्लॉट, पश्चिम : धर्मवीर का प्लॉट, उत्तर : जयसिंह का मकान, दक्षिण: 20' चौड़ा रास्ता	26 जुलाई 2025
ऋण खाता सं.: L9001060130299052 मैसर्स राजेंद्र कौन्ट्रिडजर और शीपती सूनीता देवी – अन्य विधिक उत्तराधिकारी स्वामी श्री राजेंद्र (ऋणी), शीपती सूनीता देवी (साह-ऋणी), शीपती सूनीता देवी (साह-ऋणी), सचिन शर्मा (साह-ऋणी)	18 मार्च 2025 		